रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022023-243908
CG-DL-E-24022023-243908

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 845] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 24, 2023/फाल्गुन 5, 1944
No. 845] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023/PHALGUNA 5, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 23 फरवरी, 2023

का.आ. 882(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 25 मई, 2021 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित सां.आ. सं 2080 (अ) के द्वारा बाइसिकिल-रेट्रो रेफ्लेक्टिव डिवाइस (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के अधिक्रमण में, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने का लोप किया गया है, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को बाइसिकिल-रेट्रो रेफ्लेक्टिव डिवाइस (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश 01, जुलाई 2023 से प्रभावी होगा।

2. अनुप्रयोग- यह आदेश तालिका 1 और तालिका 2 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान पर लागू होगा, लेकिन इसमें से कुछ भी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

3. मानक की अनुरुपता और मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

4. अनुरुपता का प्रमाणपत्र – तालिका-2 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान, भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-IV के अनुसार ब्यूरो की अनुरुपता प्रमाणपत्र के अंतर्गत उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तद्नुरूपी अनिवार्य अपेक्षा के अनुरूप होंगे।

5. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – तालिका-1 और तालिका-2 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में ब्यूरा प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

6. उल्लंघन हेतु दंड – इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के प्रावधानों के तहत दंड का भागी होगा।

तालिका-1

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
रेट्रो-रेफ्लेक्टिव डिवाइस	आईएस/आईएसओ 6742-2: 2015	साइकिल-लाइटिंग और रेट्रो-रेफ्लेक्टिव डिवाइस – भाग 2 रेट्रो-रेफ्लेक्टिव डिवाइस

तालिका-2

वस्तु या सामान	अनिवार्य अपेक्षा	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
रेट्रो-रेफ्लेक्टिव डिवाइस की अपेक्षा	आईएस 1016:2014 का खंड 4.14	साइकिल - बाइसिकिल हेतु सुरक्षा अपेक्षाएं

नोट: तालिका-1 के प्रयोजन के लिए, उनके संबंध में जारी संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, ब्यूरो द्वारा अधिसूचित तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं.पी-29014/3/2018-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव